न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 07/2024
जीसीएमएस न0 2024/20

1. अब्दुल गनी ज़ई पुत्र अब्दुल रउफ मुसलमान निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थी

बनाम

1. अब्दुल कदीर ज़ई पुत्र अब्दुल रउफ मुसलमान निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 16.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व विपक्षी नं० 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा निम्बाहेडा प०ह० निम्बाहेडा–ए तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 13 के आराजी नं0 1005 रकबा 0.1000 हेक्टेयर लगानी 4 रुपये 20 पैसा,आराजी नं0 1006 रकबा 0.1000 हेक्टेयर लगानी 4 रुपये 20 पैसा आराजी नं० 1007 रकबा 0.0400 हेक्टेयर ग०मु०मकान, आराजी नं0 1010 रकबा 0.1600 हेक्टेयर लगानी 6 रुपये 72 पैसा कुल किता 4 कुल रकबा 0.1600 हेक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 59 की आराजी नं0 1008 रकबा 0.0500 हेक्टेयर गे०मु०चाह स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी व विपक्षी नं० 1 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही हैं, प्रार्थी की वर्तमान आराजी नं0 1006 जिसके पुराने आराजी नं0 2207/731, नवीन आराजी नं0 1005 जिसके पुराने आराजी नं0 731 मी, तथाआराजी नं0 1007 जिसके पुराने आराजी नं0 733 व आराजी नं0 1008 जिसके पुराने आराजी नं0 732 हैं उक्त आराजियात पुराने नक्शा ट्रेस मे सही रुप से तरमीम थी परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में उक्त आराजियात को गलत रुप से तरमीम कर दिया हैं, जहां पर आराजी नं0 1005 होना चाहिए वहां पर आराजी नं0 1006 को दर्शा दिया है, तथा जहां आराजी नं0 1007 होना चाहिए वहां पर आराजी नं0 1008 को दर्शा दिया गया है जो राजस्व कर्मचारीयो की गलती की वजह से प्रार्थी की आराजियात का नवीन नक्शा ट्रेस मे मौके पर काबिज अनुसार एवं पुराने नक्शा ट्रेस मे दर्शाए अनुसार तरमीम नही किया है। इसलिए उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी व विपक्षी नं० 1 का मौके पर काबिज अनुसार, एवं पुराने नक्शा ट्रेस मे दर्शाए अनुसार नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्डमें इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested

3. विपक्षी नं० 1 का वास्तवीक नाम अब्दुल कदीर ज़ई हैं तथा समस्त पहचान के दस्तावेजात में भी अब्दुल कदीर ज़ई ही अंकित हैं तथा उक्त आराजियात का विक्रय

पत्र का भी अब्दुल कदीर ज़ई के नाम से ही निष्पादित हैं, तथा जिसका नामांतरण कारण भी अब्दुल कदीर ज़ई के नाम से दर्ज हुआ हैं परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त नामांतरण के आधार पर जमाबंदी में अब्दुल कदीर ज़ई के स्थान पर अब्दुल करीम ज़ई अंकित कर दिया है, इसलिए वर्तमान आराजी नं० 1005,1006,1007,1010 के राजस्व रेकार्ड में विपक्षी नं0 1 का नाम अब्दुल करीम ज़ई के स्थान पर अब्दुल कदीर जई अंकित कर इन्द्राज दुरुस्त किया जाना आवश्यक हैं।

4. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का मौके पर काबिज अनुसार व पुराने नक्शा ट्रेस मे दर्ज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किये जाने की कृपा करावें, तथा विपक्षी नं० 1 का नाम अब्दुल करीम ज़ई के स्थान पर अब्दुल कदीर ज़ई अंकित कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किये जाने की कृपा करावें, ताईद में शपथ पत्र पेश है।

5. विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिए गये। तहसीलदार निम्बाहेडा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 731,2260/731, 732, 733 के हाल आराजी नम्बर हाल नक्शा में एक दूसरे के स्थान पर विपरित तरमीम होने से दुरूस्ती हेतु वाद पेश हुआ है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार हाल आराजी नम्बर 1005 जिसके साबिक 731, हाल आराजी नम्बर 1006 जिसके साबिक 2207/731, हाल आराजी नम्बर 1007 जिसके साबिक 733, हाल आराजी नम्बर 1008 जिसके साबिक 732 जो गत भू प्रबन्ध में तरमीम शुदा होकर हाल भू प्रबन्ध में विपरित तरमीम हुए है जो शुद्धि योग्य होकर हाल आराजी नम्बर 1005 के स्थान पर 1006, 1007 के स्थान पर 1008, 1006 के स्थान पर 1005, 1008 के स्थान पर 1007 तरमीम होना शुद्ध है। उक्त आराजी नम्बर के खातेदार अब्दूल कदीर जई के स्थान पर अब्दूल करीम जई दर्ज हुआ है। इसी आराजी के क्रम में अब्दूल करीम जई नाम स्पष्ठ अंकन होकर क्रेता ने आधार कार्ड व पैन कार्ड प्रति पेश की है जिसमे भी नाम अब्दूल कदीर जई होना स्पष्ठ अंकन है। अतः प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम होना शुद्ध होकर रेकार्ड से मिलान होता है तथा खातेदार का नाम अब्दूल करीम जई के बजाए अब्दूल कदीर जई होना विक्रय पत्र व आधार कार्ड, पैन कार्ड से स्पष्ठ होता है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजरथान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested

136. Correction of errors. - The [Land] Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical error and any error which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his

inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

एवं

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance) – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो
राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल आराजी नम्बर 1005 जिसके साबिक 731, हाल आराजी नम्बर 1006 जिसके साबिक 2207 / 731, हाल आराजी नम्बर 1007 जिसके साबिक 733, हाल आराजी नम्बर 1008 जिसके साबिक 732 जो गत भू प्रबन्ध में तरमीम शुदा होकर हाल भू प्रबन्ध में विपरित तरमीम हुए है जो शुद्धि योग्य होकर हाल आराजी नम्बर 1005 के स्थान पर 1006, 1007 के स्थान पर 1008, 1006 के स्थान पर 1005, 1008 के स्थान पर 1007 तरमीम होना शुद्ध है। उक्त आराजी नम्बर के खातेदार अब्दूल कदीर जई के स्थान पर अब्दूल करीम जई दर्ज हुआ है। इसी आराजी के क्रम में अब्दूल करीम जई नाम स्पष्ठ अंकन होकर क्रेता ने आधार कार्ड व पैन कार्ड प्रति पेश की है जिसमे भी नाम अब्दूल कदीर जई होना स्पष्ठ अंकन है। अतः प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम होना शुद्ध होकर रेकार्ड से मिलान होता है तथा खातेदार का नाम अब्दूल करीम जई के बजाए अब्दूल कदीर जई होना विक्रय पत्र व आधार कार्ड, पैन कार्ड से स्पष्ठ होता है जिसे स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Rancholi
Date: 2025.01.29 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नि[illegible] प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 [illegible] राज[illegible] अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को [illegible] निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए तहसील निम्बा[illegible] 1005 के स्थान पर 1006, 1007 के स्थान पर 1008, 1006 के स्थान पर 100[illegible] 1008 के स्थान पर 1007 तथा विपक्षी संख्या 1 का नाम अब्दूल करीम जई पिता अब्दुल रउफ जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेडा के बजाए अब्दूल कदीर जई पिता अब्दुल रउफ जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेडा किए जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त

मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम राजस्व रेकार्ड में किये जाने के आदेश दिए जाते है। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:27:50 IST
Reason: SelfAttested